संख्या:22/2020/242 ई-2/तेरह-2020-145/1994

प्रेषक

कृपा शंकर शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 20 फरवरी, 2020

विषय:-ई.एन.ए./ग्रेन ई.एन.ए. जिसका विक्रय किसी पेय मदिरा उत्पादक आसवनी को किया जाता है, उस मात्रा को विक्रेता आसवनी की औद्योगिक क्षमता एवं क्रेता आसवनी की पेय क्षमता में जोड़े के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में आबकारी नीति वर्ष-2020-21 विषयक शासनादेश संख्या- 11/2020/155 ई-2/तेरह-2020-01/2020 दिनांक 24.01.2020 तथा इस सन्दर्भ में अपने पत्र संख्या-जी-107/दो.प्रा.डी.-10/रेडिको, दिनांक 31-01-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी नीति वर्ष 2020-21 विषयक शासनादेश दिनांक 24.01.2020 के प्रस्तर-2.7.5(5) के प्राविधानानुसार उपर्युक्त विषय में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं.-3080 ई-2/तेरह 2004-145/94, दिनांक 27.12.2004 को अवक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः-

''प्रदेश की कोई भी पेय मदिरा उत्पादक आसवनी अपनी पेय मदिरा उत्पादन क्षमता के अन्तर्गत प्रदेश मे किसी भी आसवनी (पेय मदिरा उत्पादक, मिश्रित आसवनी तथा औद्योगिक अल्कोहल उत्पादक आसवनी) से ई.एन.ए./ग्रेन ई.एन.ए. क्रय कर पेय मदिरा का उत्पादन कर सकती है। किसी भी दशा में पेय मदिरा उत्पादन करने वाली आसवनी अपनी स्वीकृत पेय क्षमता से अधिक पेय मदिरा का उत्पादन नहीं करेगी। विक्रेता आसवनी द्वारा उत्पादित ई.एन.ए./ग्रेन ई.एन.ए. जिसका प्रयोग स्वयं पेय मदिरा निर्माण में न करके उसका विक्रय किसी पेय मदिरा उत्पादक आसवनी को किया जाता है तो उस मात्रा को विक्रेता आसवनी की औद्योगिक क्षमता एवं क्रेता आसवनी की पेय क्षमता में जोड़ा जायेगा।''

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कृपा शंकर शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov..in से सत्यापित की जा सकती है।